



Neutral Citation No.-2026:AHC:60144

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9871 वर्ष 2026

टिंकू @ शशिपाल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अनुज बाजपेयी

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज बाजपेयी, और राज्य की तरफ से विद्वान ए.जी.ए. श्री आनन्द प्रताप सिंह को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया ।
2. यह वर्तमान जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 207/2025, धारा 103(1), 191(2) बीएनएस, थाना-मदनापुर, जिला-शाहजहांपुर में परीक्षण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है ।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि एफआईआर में आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र की हत्या में अन्य अभियुक्तों के साथ उसकी संलिप्तता पर संदेह व्यक्त करने के संबंध में आरोप लगाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरुद्ध दोषी ठहराने वाली कोई भी सामग्री नहीं है, यहां तक कि आवेदक की ओर कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृतक के मोबाइल से बरामद ऑडियो क्लिप में भी सह-अभियुक्त, भोपाल @ रमनपाल की संलिप्तता स्पष्ट है, लेकिन उसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4873/2026 में दिनांक 11.02.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसलिए, आवेदक भी सह-अभियुक्त भोपाल @ रमनपाल की तुलना में बेहतर स्थिति में होने के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने संलग्न शपथपत्र में चार मामलों के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 08.11.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और अधीनस्थ न्यायालयों में आपराधिक मामलों के ज्यादा लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसको 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त अपराध में, शामिल आवेदक- **टिंकू उर्फ शशिपाल**, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि, के लिए एक व्यक्तिगत अनुबंध और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ, जमानत पर रिहा किया जाए: -

1. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
2. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
4. आवेदक को अपने द्वारा निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. अनुबंध स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमानत देने संबंधित नीतिगत रणनीति, संदर्भ:स्वप्रेरणा रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(अरूण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

एस.सी.